

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02371/2020-2021

दिनांक 04/12/2020



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/MAT/11522/2020-2021

पत्रावली संख्या:AG-39964 दिनांक:2005-2006

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि जेंपी० एजूकेशनल एण्ड सोशल वैलफेर सोसाइटी, ५-३७, नटवर नगर,
मथुरा, मथुरा, 281001, को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1110/2005-06 दिनांक-31/08/2005
को दिनांक-30/08/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1200 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्मक्क रूप से ग्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)
8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4

Date: 04/12/2020 11:17:00 AM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-04/12/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश !

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10

भारत

TEN
RUPEES
Rs.10

सत्यमेव जयते
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AC 454453

बहु लक्षण दस रुपये के लिए जो प्राप्ति राजस्थान राज्य सोशल बीलिंग्स
रु. (1) १५
काइल मं० ८७-३९९६४
साथ संकेत
रु. १५५



उत्तर प्रदेश कार्यालय दोराम्बनी
लालिया द्वारा, बादला

25-4-16



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AC 454454

कानूनी स्टाम्प देखा गया। दिनांक 21 नवंबर 2003। रोशनील मॉलमान्डी
रोशनील मॉलमान्डी के साथ छापा है।
रोशनील मॉलमान्डी
रोशनील मॉलमान्डी



राज्य विधायक
चुनाव आयोग द्वारा दोहराई
दोहराई देखा गया।
25-4-16

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10

भारत

TEN
RUPEES
Rs.10

मन्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

95AC 515468

इनकाल संस्कृत दिवस २१०३ रोड़ाल विद्यालय
उत्तर प्रदेश /२०१३ मार्गदर्शक
प्राप्ति के साथ संकरण
५०८२३ २००९.१०



दस रुपये
ग. भारतीय न्यायिक दस रुपये
उत्तर प्रदेश, बाबता
26/11/16

जे०पी० एजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेर सोसायटी, ए-३७, नटवर नगर, मथुरा।

प्रबन्ध कारिणी समिति की सूची वर्ष— २००९—१०

क्र.सं०	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री बौंके लाल पुत्र श्री लोकमन	लक्ष्मणपुरा, हरनौल, मथुरा।	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री चन्द्र पाल पुत्र श्री शिवचरन लाल	शिवपुरी, बाजना, मथुरा।	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	श्री जयप्रकाश पाठक पुत्र श्री सी.पी. पाठक	ए-३७, नटवर नगर, मथुरा।	सचिव / प्रबन्धक	नौकरी
4.	श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी श्री जयप्रकाश	हरनौल, जिला—मथुरा।	कोषाध्यक्ष	नौकरी
5.	उजमा खॉन पुत्र श्री बाजीर खान	47—सी, कृष्णानगर, मथुरा।	सदस्य	नौकरी
6.	श्री विजय कुमार पुत्र श्री शंकर लाल	हरनौल, जिला—मथुरा।	सदस्य	नौकरी
7.	श्री विकास कुमार पुत्र श्री चन्द्र पाल	दाउजी नगर, बाजना, मथुरा।	सदस्य	नौकरी
8.	श्रीमती अंजली शर्मा पत्नी श्री राजेश शर्मा	शिवपुरी, बाजना, मथुरा।	सदस्य	नौकरी
9.	श्री मंजेश चौधरी पुत्र श्री धर्मवीर सिंह	ए-५०, बालाजीपुरम, मथुरा।	सदस्य	नौकरी
10.	श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रमन लाल शर्मा	ग्राम व पो०—लोहवन, जिला—मथुरा।	सदस्य	नौकरी
11.	श्री नवनीत पुत्र श्री नथी लाल	जी.सी.—६१, चन्दनवन, मथुरा।	सदस्य	नौकरी

२००९-१०
नृथा०२०८
उम्मेदवाला
उम्मेदवाला

Rathak
Swetha Sharm
26/11/16

सत्त्व प्रतिलिपि
सत्त्व निवास
मथुरा बोधाश्रीज एवं चिद्रु
बाराता बैंध, बायरा

प्र० ५८१८
ओमवती

11. समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं व्यक्तिओं एवं वित्तीय संस्थानों से दान प्राप्त करना
12. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अचल सम्पत्ति का कर्य करना, पटटे पर एवं किराये पर प्राप्त करना
13. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना
14. मानव कल्याण हेतु जनहित में कार्य करना।

संस्था के पदाधिकारीगण

संस्था की प्रबन्धकार्यकारिणी एवं नाम पते पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के द्वारा स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्रमांक	नाम / पिता / पति	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री बांकेलाल पुत्र श्री लोकमन	लक्ष्मणपुरा, हरनौल, मथुरा	खेती	अध्यक्ष
2.	श्री चंद्रपाल पुत्र श्री शिवचरन लाल	शिवपुरी, बाजना	नौकरी	उपाध्यक्ष
3.	श्री जयप्रकाश पाठक पुत्र श्री सी.पी.पाठक	अ.37 नटदर नगर, मथुरा	नौकरी	सचिव / प्रबंधक
4.	श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी श्री जयप्रकाश पाठक	हरनौल, मथुरा	नौकरी	कोषाध्यक्ष
5.	श्री विनोद कुमार पाठक पुत्र श्री शिवचरन लाल	शिवपुरी, बाजना	नौकरी	सदस्य
6.	श्री विजय कुमार पुत्र श्री शकर लाल	हरनौल, मथुरा	नौकरी	सदस्य
7.	श्री विकास कुमार पुत्र श्री चंद्रपाल	दाउजी नगर, बाजना	नौकरी	सदस्य
8.	श्रीमती अंजली शर्मा पत्नी श्री राजेश शर्मा	शिवपुरी, बाजना	नौकरी	सदस्य
9.	श्री मंजेश चौधरी पुत्र श्री धर्मवीर सिंह	अ.50, बालाजीपुरम्, मथुरा	नौकरी	सदस्य
10.	श्रीमती ओमवती देवी पत्नी श्री ओउमप्रकाश	मेन गली., बाजना	नौकरी	सदस्य
11.	श्री नवनीत पुत्र श्री नर्थीलाल	जी.-सी 61 चंदनवन, मथुरा	नौकरी	सदस्य

हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दीर्घित है कि हम ने इस स्मृति- पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

२०/८/०५

नामांकन संस्था का दावा कुपारी २०-८-०५

स्मृति- पत्र

1. संस्था का नाम:
2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय:
3. संस्था का कार्यक्षेत्र:
4. संस्था का उद्देश्य

जे०पी० एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेर सोसयटी
ए-३७, नटवर नगर, मथुरा
संस्था का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश
संस्था निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य
करेगी

1. शारिक रूप से तथा मानसिक रूप से विकलाग गूगे, बहरे तथा नेत्रहीन बालक और बालिकाओं को सरकारी तथा अन्य निजी संस्थाओं से सहायता प्रदान कराने में सहयोग प्रदान कराने में सहयोग करना ।
2. पिछड़ी जाति, अनूसूचित जाति विकलाग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर पिछड़े लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने में मदद करना ।
3. प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्मों को अनूसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति की बस्तियों में तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर अन्य जातियों के मध्य सीधित कराने में सहयोग करना ।
4. विधवा और वृद्ध अवस्था की महिलाओं को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराना तथा उनको दिलाने में पूर्ण सहयोग करना ।
5. सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं के साथ— साथ गूगी, बहरे तथा नेत्रहीन महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा कढाइ बुनाइ तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए शिक्षण केन्द्र की स्थापना कर उनका संचालन करना ।
6. गौरवशाली प्राचीन भारतीय परम्परा को जीवित रखते हुए शिक्षा प्रणाली आधारित स्कूल, कालेजों की स्थापना करना उनका संचालन तथा प्रबंधन करना ।
7. युवाओं को उच्च तकनीकी एवं रोजगार शिक्षा जैसे— कम्प्युटर प्रबंध व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा तथा सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु उच्च कोटि के शिक्षण केन्द्र स्थापना करना उनका संचालन करना ।
8. जनहित में पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना, उनका संचालन तथा प्रबंधन करना ।

9. भारतीय नागरिकों के नैतिक स्तर को उचा करने एवं उनमें राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए सेमिनार, प्रशिक्षण, शिविर, संगोष्ठी आदि का आयोजन करना ।
10. सभी वर्गों के नागरिकों की सुविधा हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।



गोपनीय

Rathesh

Mangeshi Anjali

Vikash

Non Neet

apstakma

Omkar

1/4/2011

25/11/2011

महाराष्ट्र विद्यालय एवं विद्युत
शालिकालय एवं विद्युत
शालिकालय एवं विद्युत

विद्युत विद्यालय एवं विद्युत
शालिकालय एवं विद्युत

नियमावली

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पंजीकृत कार्यालयः
3. संस्था का कार्यक्षेत्रः
4. संस्था का उद्देश्यः
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः

जे०पी० एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेर सोसयटी
ए-३७, नटवर नगर, मथुरा

संस्था का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश

संस्था के उद्देश्य स्मृति पत्र के अनुसार होगे

साधारण सदस्य

आजीवन सदस्य

साधारण सदस्यों को रूपया ५१/-—वार्षिक चन्दा देना होगा तथा आजीवन सदस्यों को एकमुस्त १००१/-—रूपया जमा कराना होगा। संस्थापक सदस्य अपनी इच्छा अनुसार चन्दा दे सकते हैं।

संस्था के संस्थापक सदस्य श्री जयप्रकाश पाठक हैं।

संस्थापक सदस्य

६. सदस्यता की समाप्ति

सदस्यता की समाप्ति निम्न दशाओं में होगी

१. किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
२. किसी सदस्य के पागल हो जाने पर।
३. किसी सदस्य को अदालत द्वारा दण्डित होने पर।
४. किसी सदस्य के दिवालिया हो जाने पर।
५. किसी सदस्य के वार्षिक चन्दा न दिये जाने पर।
६. संस्था की मीटिंग में तीन बार अनुउपस्थित होने पर।

७. संस्था के अंग



१.—साधारण सभा

संस्था की दो प्रकार की सभायें होगी

१.—साधारण सभा

२.—प्रबन्धकारिणी समिति

१. गठन साधारण सदस्य, आजीवन सदस्यों तथा संस्थापक सदस्यों सहित सभी के द्वारा किया जायेगा। सामान्य बैठक ६ माह प्ल्याट तथा विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

२. सूचना अवधि मीटिंग बुलाने के लिए कम से कम ७ दिन पूर्व प्रत्येक सदस्यों की सूचना भेजी जायेगी।

३. गणपूर्ति कुल सदस्यों की सख्ता का द्वारा तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से मानी जायेगी। विशेष प्रस्तावों के लिए दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

४. विशेष वार्षिक अधिवेशन तिथि आदि—

वर्ष के अन्त में विशेष वार्षिक अधिवेशन होगा जिसकी सूचना प्रत्येक सदस्यों को दस दिन पूर्व दी जायेगी।

१. साधारण सभा संस्था के कार्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का चयन करेगी। जिसमें कम से कम ११ सदस्य होगे।

साधारण सभा के अधिकार

Umesh

Anjali

Rashmi

लोकेश

प्रतिलिपि

२५-४/१६

नेशनल एज्युकेशनल सोसायटी

वार्षिक बैठक, वार्षिक

मंगल

ओमरत्नी

लुधाशन

Nijay

- साधारण सभा प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यकलापों की जानकारी रखेगी।
- किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर ~~साधारण~~ समा के सदस्यों से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी।

2—प्रबन्धकारिणी समिति

गठन: साधारण सभा के सदस्यों द्वारा ही इस समिति का गठन होगा।

बैठक:

- प्रबन्धकारिणी समिति 6 माह पश्चात तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती हैं।
- सूचना अवधि मॉटिंग बुलाने के लिए कम से कम 7 दिन पूर्व प्रधार्यक सदस्यों को इसकी सूचना भेजी जायेगी।
- गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की छूट तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से मानी जायेगी। विशेष प्रस्तावों के लिए दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- रिक्त स्थानों की पूर्ति — किसी सदस्य का रिक्त स्थान होने पर साधारण सभा के सदस्यों से ही रिक्त पूर्ति होगी।
- कार्यकाल: प्रबन्धकारिणी समिति का कार्य काल 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष के पश्चात पुनः चुनाव करना होगा।

कार्यकारिणी समिति के पदअधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य



- संस्था के अधीनस्थ संस्थाओं के कार्य देखना और उनका प्रबन्ध करना।
- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति आदि करना तथा उनको सेवा से प्रथक करना।
- प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकारकम 11 सदस्य होंगे। समिति के निम्नलिखित पद होंगे।

अध्यक्ष—एक

उपाध्यक्ष—एक

सचिव / प्रबन्धक—एक

कोषाध्यक्ष—एक

सदस्य —सात

अध्यक्ष

- प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष को समिति की बैठक में अध्यक्षता करने का अधिकार होगा।
- समिति के निर्णयों में से किसी विषय पर समिति के एक समान हो जाने पर एक अधिकार मत देकर निर्णय करना होगा।

*Vishal
Anjali 25-U.M.
लाल
Vishal
Naveet
Chakma
Sushant
Rajendra
Om Prakash
Vijay*

उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष के कार्य में सहायता प्रदान करना।
2. अध्यक्ष की अनुउपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य सम्पादित करना।

विवर / प्रयोगक

1. संस्था के कार्यों का संचालन करना।
2. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के त्याग-पत्र विचार करने तथा इन पदों के लिए चुनाव कराना। इसके लिए साधरण सभा की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
3. संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों आदि के कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति करना। प्रथक् करना त्यागपत्र, ग्रेड एवं वेतनवृद्धि इत्यादि की स्वीकृति हेतु समिति की स्वीकृति हेतु समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
4. विगत वर्ष के वित्तीय खातों तथा आगामी वर्ष के बजट को स्वीकृत कराने के लिए समिति की बैठक में प्रस्तुत करना।
5. संस्था के कार्यों से सम्बन्धित प्रपत्रों पर आवश्यकता अनुसार हस्ताक्षर करना।
6. बाह्य व्यक्तियों से संस्था के लिए काई अनुबन्ध अथवा कोई कार्य करने की दशा में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
7. समिति द्वारा अनुमोदित व्ययों के उचित रूप से व्यय करने की व्यवस्था करना।
8. संस्था की ओर से आवश्यक पत्र व्यवहार अपने निरीक्षण में तथा अपने हस्ताक्षरों से तथा संस्था की ओर से सभी प्रकार की अदालती कार्यवाही में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
9. संस्था के कोष को बैंक अथवा अन्य लाभकारी स्थानों पर निवेश करना तथा अपने निरीक्षण में हिसाब की व्यवस्था करना।
10. संस्था के कार्यों की मासिक प्रगति व आय-व्यय के विवरण से समिति को परिचित कराना एवं उसकी स्वीकृति प्राप्त करना।
11. चन्दा, अनुदान, आदि प्राप्त करना तथा उसका हिसाब रखना।
12. आवश्कतानुसार समय-समय पर संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों की उन्नति के लिए अध्यापकों छात्रों, अभिभवकों, अन्य शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों व अन्य जन-अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना।
13. साधरण सभा तथा प्रबंधकरिणी समिति की बैठकों को आयोजित करना तथा संचालन सम्बन्धी व्यवस्थाएँ करना।
14. संस्था की सम्पत्तियों तथा कोषों की देखभाल करना।



Vikash
Anjali^{राजेश लाल}
Rakesh

Navneet
Chahal
Om Prakash

लुष्मानी

गोपनीय

विजय
लुष्मानी
गोपनीय एवं विद्युत
लाल, बाबू

Mangeshi
25/11/6

कोषाध्यक्ष

15. संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना तथा संस्था के नियमों का सुचारू रूप से पालन कराने की व्यवस्था करना।

1. संस्था की सम्पति का लेखा जोखा रखना तथा नगद राशि को किसी राष्ट्रीकृत बैंक/डाकघर में प्रबंधक/सचिव के खाते में जमा कराना।

2. कोषों की उचित देखभाल करना तथा संस्था के वित्तीय खातों को तैयार कराने तथा बैंक वाउचर आदि बनाकर पास कराना।

नियमावली में संशोधन

संस्था की इस नियमावली में संशोधन साधारण समा के कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की सहमति से ही किया जा सकेगा।

संस्था का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से अगामी वर्ष की 31 मार्च तक रहेगा।

संस्था के बैंक खाते राष्ट्रीकृत बैंक में खोले जायें बैंक का संचालन प्रबंधक/सचिव के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

संस्था के बैंक खातों का लेखा परीक्षण प्रबंधकरिणी समिति द्वारा नियुक्त चार्ट एकाउन्टेन्ट से प्रतिवर्ष कराया जायेगा। संस्था के कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कैश बुक, लेनदेन आदि होंगे जो की प्रबंधक/सचिव के पास रहेंगे और वही उनकी पूरी देखभाल करेंगे।

संस्था के विघटन अथवा उसके कियाशील न रहने की दशा में उसकी समस्त चल-अचल सम्पति साधारण समा के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत के समान उदद्देश्यों



वाली किसी अन्य संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। संस्था के विघटन एवं विक्षण सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही सोसइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 एवं 14 के अनुसार की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी पदधिकारियों एवं सदस्यों के हस्ताक्षर

काल्पनिक

20/8/05.

लोकेन्द्र
Rathore,
Anguli

Vilesh,

Now Neet

Chakma

Shivam
Mangesh

25-IV-06
Vijay

पुष्प लियमसन
लक्ष्मी कोषाध्यक्ष एवं विद्यु
आदान वॉच, बायरा

11/2/06
Budha Shashi